

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
राजस्थान रेजीडेन्शियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)  
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।

क्रमांक एफ 3 (C) ( ) राईस/अका./आ.वि./प्रवेश/2020/350

दिनांक 03/03/2021

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 266 दिनांक 17.02.2021 के द्वारा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2021 निर्धारित की गई थी।

आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान प्रवेश में कमी को देखते हुए आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी 2021 से बढ़ाकर 15 मार्च 2021 की जाती है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश की वरीयता सूची को प्रतिदिन जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
एवं सचिव राईस

क्रमांक एफ 3 (C) ( ) राईस/अका./आ.वि./प्रवेश/2020/351-358

दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महादय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर (संबंधित) .....
5. संयुक्त निदेशक (I.T.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करने का श्रम करावें।
6. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....
7. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय समस्त।
9. आदेश पत्रावली।

(डालचन्द वर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (राईस)